डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा

(पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय आगरा)

दिनॉक :24-4-2014

पत्रांक–एफिल / वी0सी / 1137(164)

प्रेषक :–

कुलपति
डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय
आगरा ।

सेवा में,

प्रबन्धक / सचिव,
श्री देवी सौराम सिंह एजूकेशनल इंस्टीट्यूट
पैढ़त, जसराना, फिरोजाबाद

विषय– नवीन महाविद्यालय / संस्थान एवं पाठ्यक्रम / विषय की स्थापना / संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2103 / सत्तर –2—2012–2(166) / 2002 दिनॉक 09 अगस्त 2012 के अनुपालन में गठित समिति की संस्तुति पर आपके द्वारा महाविद्यालय में उल्लिखित विषयों को आरम्भ करने हेतु अनापत्ति आवेदन पत्र के संदर्भ में शासनादेश संख्या 2284 / 70–02–2009–2(166) / 2002 दिनांक 29 जून 2009 के प्रावधानों के तहत श्री देवी सौराम सिंह एजूकेशनल इंस्टीट्यूट पैढ़त, जसराना, फिरोजाबाद को स्नातक पाठ्यक्रम के कला एवं विज्ञान संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थ शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान) बी0एस0सी0 (बॉयो मैथ) में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति / निर्बाधन (क्लीयरेन्स) प्रदान की जाती है ।

(1) उक्त पाठ्यक्रम का संचालन राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही किया जायेगा । सम्बद्धता प्राप्त किये बिना छात्र / छात्राओं के प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

(2) उक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब यह संस्थान

शासनादेश संख्या – 3075 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002	दिनॉक 27 सितम्बर 2002
शासनादेश संख्या –3411 / सत्तर–2–2002–2(166) / 2002	दिनॉक 11 अक्टूबर 2002
शासनादेश संख्या –193 / सत्तर–2–2003–2(166) / 2002	दिनॉक 13 जनवरी 2003
शासनादेश संख्या 585मु0मं0 / सत्तरी–2–2005–2(166) / 2002	दिनॉक 21 अक्टूबर 2005
शासनादेश संख्या 743मु0मं0 / सत्तर–2–2006–2(166) / 2002	दिनॉक 07 नवम्बर 2006
शासनादेश संख्या 4108 / सत्तर–2–2007–2(494) / 2007	दिनॉक 17 अक्टूबर 2007
शासनादेश संख्या –2112 / सत्तर–2–2008–2(494) / 2007	दिनॉक 09 मई 2008
शासनादेश संख्या –3310 / सत्तर–2–2008–2(166) / 2002	दिनॉक 04 अगस्त 2008
शासनादेश संख्या –4548 / सत्तर–2–2008–2(494) / 2007	दिनॉक 14 अक्टूबर 2008
शासनादेश संख्या 4954 / सत्तर–2–2008–2(166) / 2002	दिनॉक 27 अक्टूबर 2008
शासनादेश संख्या 2284 / सत्तर–2–2009–2(166) / 2002	दिनॉक 29 जून 2009

तथा समय –समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों में विर्निदिष्ट मानकों के अनुसार सभी आवश्यकताएं एवं औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जायेंगी ।

(3) उक्त संस्थान भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिए न तो विश्वविद्यालय से और न ही शासन से माँग करेगी और उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुई वित्तीय दायित्व की देनदारी विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार की नहीं होगी ।

(4) संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा ।

(5) राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्वता से पूर्व संस्थान द्वारा सुनिश्चित की जायेगी ।

(6) उक्त पाठयकम में स्टाफ के वेतन आदि पर पडने वाला समस्त व्यय भार संस्थान द्वारा वहन किया जायेगा एवं सम्बद्वता के समय इस आशय की लिखित अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी ।

(7) मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर अथवा भूमि किसी प्राधिकरण से कय किये जाने की स्थिति में लीजडीड की प्रमाणित प्रति सम्बद्वता के प्रस्ताव के साथ उपलब्ध करायी जायेगी ।

(8) उक्त पाठयकम का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू–अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम पैढ़त, जसराना, फिरोजाबाद के गाटा संख्या 2268 कुल रकबा 2.553 हैक्टेयर भूमि पर ही मानकानुसार निर्मित भवन में ही संचालित किया जायेगा। अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उक्त भूमि को सम्बद्वता के प्रस्ताव के पूर्व महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा लिया जायेगा।

(9) ट्रस्ट /सोसाईटी एक प्रबन्ध समिति का गठन कर लेगा और उसके सदस्य परस्पर सम्बन्धी नहीं होंगे और भूमि महाविद्यालय के नाम विधित अन्तरित कर दी जायेगी ।

(10) उक्त पाठ्यक्रमों की अनापत्ति हेतु पत्रावली में उपलब्ध कराये गये पत्राजात/ अभिलेख भविष्य में नियम विरूद्ध एवं भूमि की जांच सम्बन्धी, एवं अन्य किसी विसंगति की स्थिति में प्रदान की गयी एन0ओ0सी0 स्वतः निरस्त समझी जावेगी।

(11) कृपया उपर्युक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(प्रो0मोहम्मद मुजम्मिल)
कुलपति

पत्र संख्या सी0सी0/एफिल/ /13 दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव , उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेष शासन, लखनऊ ।
2. सम्बन्धित जनपद जिला अधिकारी ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा ।
4. डप कुलसचिव / अधीक्षक सम्बद्वन ।
5. प्रभारी कुलसचिव कार्यालय ।
6. अधीक्षक कुलपति सचिवालय ।
7. सम्बन्धित पत्रावली (गार्ड फाईल) हेतु ।

कुलसचिव